निर्वाचनों का सचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। राजस्थान राज्य के 3-चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि श्री राहुल करवां, गांव पोस्ट कालरी, तहसील राजगढ़, चूरू, राजस्थान 331301, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :- चूरू

दिनांक :- 23.05.2019

3-चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू) (संदेश नावक)

रिटर्निंग ऑफिसर

3-चूरू लोकसमा निर्वाचन **क्षेत्र** (जिला करोन्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू)

Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 3-CHURU Parliamentary constituency in Rajasthan State.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that- Shri RAHUL KASWAN, VPO KALRI, TEHSIL RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN 331301, sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Churu Date: 23.5.2019

Returning Officer

3-CHURU Parliamentary Constituency (Distt. Collector & Distt. Magistrate, CHURU)

(SANEITSH NAYAK)

Restauring Stateer
3-7HURC Parkementary Constituency
Dest. Collector & Dist. In Histrate, CHURU)